फर्द अहकाम नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (श्रीगंगानगर)

ब

शकुंतला ना नवदीप सिंह

म

मुकदमा अन्तर्गत धारा ....212.... RTA

किस्म मुकदमा मु. माल 35 /2020

9 जैड

तारीख	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
	यह प्र. पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री ....अमित स्वामी.... के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक ...17.7.20.... को पेश हो।	149
[illegible]	आज बार संघ ने कार्य नही करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/8/20 को पेश हो	
[illegible]	आज बार संघ ने कार्य नही करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/10/20 को पेश हो।	
05-10-20	प्रार्थिया जरिये वकील उप०। प्रार्थिया द्वारा मूल वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मूल वाद खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज होने के कारण इस पत्रावली का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। अतः पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली दायरा रजिस्टर में कम होकर बाद तकमील दाखिला संलग्न मूल वाद रहे।	शकुन्तला Id by me. चरणजीत Adv.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)